न्यायालय सहायक कलक्टर,भरतपुर

पीठासीन अधिकारीः— संजय गोयल, आर0ए0एस0
राजस्व वाद संख्याः—176 / 2016

1. खजान सिंह } पुत्रगण स्व0 करनसिंह जाति जाट निवासी घुस्यारी
2. दीवान सिंह } तहसील व जिला भरतपुर ..... वादीगण

बनाम

1. हेतो पत्नी स्व0 करनसिंह (मृतक)
2. जयपाल } पुत्रगण स्व0 अमरसिंह
3. हाकिम सिंह }
4. जयदेई पत्नी साहब सिंह
5. वीरेन्द्र }
6. दीपक } पुत्रगण स्व0 साहब सिंह
7. प्रदीप }
8. कप्तान सिंह } पुत्रगण स्व0 करनसिंह
9. कोतवाल }

जाति जाट निवासी घुस्यारी तहसील व जिला भरतपुर

10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भरतपुर

.....असल प्रतिवादीगण

11. विजयभान पुत्र प्रभु जाति जाट निवासी घुस्यारी तहसील भरतपुर
12. राजवती पत्नी यादराम जाति गड़रिया निवासी नूरपुर तहसील भरतपुर

.....तरतीवी प्रतिवादीगण

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

दावा अंतर्गत धारा 88—89—188 राज0 काश्तकारी अधिनियम, 1955

निर्णय

दिनांकः—26 / 12 / 2018

वादीगण ने जरिये अभिभाषक उपस्थित होकर दावा अर्न्तगत धारा 88, 89, 188 आर.टी.ए. विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का पेश किया है कि वादीगण के कब्जे काश्त खातेदारी की हाल आराजी खसरा नंबरान 300 / 0.17, 301 / 0.17, 302 / 0.38, 303 / 0.35 किता 4 रकबा 1.07 हैक्टेयर वाके ग्राम घुस्यारी तहसील व जिला भरतपुर में स्थित है, जो कि साविक खसरा नम्बरान 301 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा, 304 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा, 305 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा, 306 रकबा 2 बीघा से निर्मित हुए हैं। जिस पर वादीगण व असल प्रतिवादी सं0 2 लगायत 9 वहैसियत खातेदार

काश्तकार के रूप में काबिज होकर काश्त कर रहे हैं। जिसमें से 1/2 हिस्सा में से कप्तान सिंह व कोतवाल द्वारा पहले से खातेदारी में दर्ज हैं जिसमें से 1/7, 1/7 कुल 2/7 हिस्सा तरतीवी प्रतिवादीगण को विक्रय किया जा चुका है। जिसके इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हैं। शेष 1/2 हिस्सा वादीगण व असल प्रतिवादीगण सं0 1 लगायत 9 की गैर खातेदारी में दर्ज है। जो खिलाफ कानून व खिलाफ मौका है, क्योंकि वादीगण व असल प्रतिवादी सं0 1 लगायत 9 को इस 1/2 हिस्सा पर खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके हैं। वादीगण के परिवार का सजरा निम्न प्रकार है –

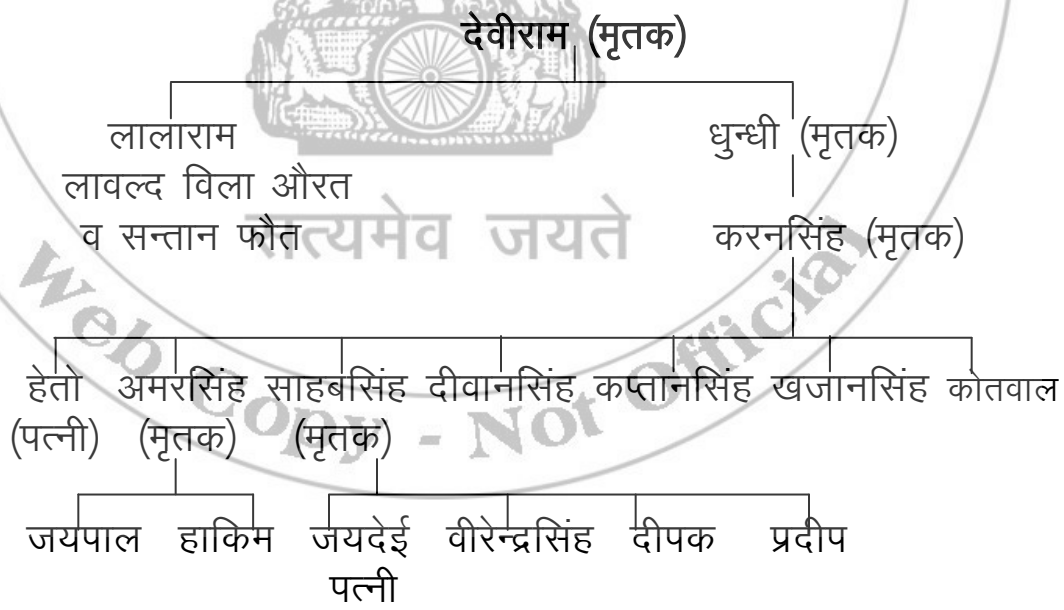

उक्त आराजी पर वादीगण के पूर्वज लालाराम वहैसियत गैर मौरूसी काश्तकार काबिज रहे और काश्त करते रहे। जिसके इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में संवत् 2009 से 2012 व 2013 से 2016 में दर्ज हैं और वादीगण के पिता करन सिंह के इंद्राज भी दर्ज हैं जिनके इंद्राज लालाराम पुत्र देवीराम निष्फ खातेदार व करन सिंह पुत्र धुन्धी निष्फ गैर खातेदार के दर्ज हैं लेकिन इसी दौरान लालाराम का स्वर्गवास लावल्द विला औरत व सन्तान हो गया । जिसका एक मात्र वारिस वादीगण के पिता करनसिंह रहे और इस प्रकार उक्त आराजी पर विरासतन वादीगण के पिता करनसिंह निष्फ के खातेदार व निष्फ के गैर खातेदार दर्ज आराजी हो गये। तत्पश्चात वादीगण के पिता करनसिंह का भी स्वर्गवास हो गया और आराजी पर वादीगण व असल प्रतिवादी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

सं0 1 लगायत 9 विरासतन निष्फ अर्थात 1/2 हिस्से पर खातेदार और निष्फ अर्थात 1/2 हिस्से पर गैर खातेदार दर्ज हो गये। यद्यपि वादीगण को अधिकार भी प्राप्त हो चुके हैं और 1/2 हिस्से पर वादीगण खातेदार दर्ज हो भी चुके हैं लेकिन वादीगण व असल प्रतिवादीगण सं0 1 लगायत 9 को वर्तमान में भी 1/2 हिस्सा पर गैर खातेदार दर्ज कर रखा है जो खिलाफ कानून व मौका है। जिससे वादीगण के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इसी कारण वादीगण 1/2 हिस्सा पर गैर खातेदारी इन्द्राजों को कलमजन कराकर खातेदार कृषक घोषित करा पान के अधिकारी हैं।

वादीगण द्वारा तहसीलदार भरतपुर से 1/2 हिस्से पर गैर खातेदार से खातेदार दर्ज किये जाने का आग्रह किया तो इनके द्वारा साफ इंकार कर दिया और वादीगण व असल प्रतिवादीगण सं0 1 लगायत 9 को आराजी से बेदखल करने की धमकी दी है। जबकि इन्हें इसका कोई अधिकार प्राप्त नहीं है।

राजस्थान सरकार के विरुद्ध दावा करने से पूर्व धारा 80 सी.पी.सी. का नोटिस दिया जाना अनिवार्य होता है लेकिन दावा बिना नोटिस दिये ही पेश किया जा रहा है लेकिन इसके लिए धारा 80(2) सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र अलग से दावा के साथ पेश किया जा रहा है।

इस प्रकार वादीगण ने दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वाके ग्राम घुस्यारी तहसील भरतपुर स्थित आराजी खसरा नंबर 300/0.17, 301/0.17, 302/0.38, 303/0.35 किता 4 रकबा 1.07 हैक्टेयर के 1/2 हिस्से पर गैर खातेदारी इंद्राज कलमजन किये जाकर वादीगण व असल प्रतिवादी सं0 1 लगायत 9 को खातेदार काश्तकार दर्ज किया जावे। वादीगण ने अपने दावा के समर्थन में नकल जमाबंदी हाल संवत् 2071–2074, नकल मिलान क्षेत्रफल, नकल जमाबंदी संवत् 2009 से 2028 पेश की हैं।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं0 2 लगायत 9 दिनांक 30.11.2018 को न्यायालय में उपस्थित आये। इन्होंने अपना जवाब प्रस्तुत नहीं करने का निवेदन किया। प्रतिवादी सं0 1 हेतो का स्वर्गवास हो चुका है। इनके वारिसान प्रतिवादी सं0 2 लगायत 9 पूर्व से ही रिकॉर्ड पर हैं। प्रतिवादी सं0 11 एवं 12 बावजूद रजिस्टर्ड सम्मन से भी न आने पर दिनांक 18.12.2018 को इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी सं0 10

पैरोकार सरकार ने दिनांक 19.12.2018 को उपस्थित होकर अपना जवाब पेश किया, जो संलग्न पत्रावली है। दावा व जवाब दावा के आधार पर प्रकरण में निम्नलिखित तनकी कायम की गईं–

<u>तनकी नंबर 1. –</u> "आया वाके ग्राम घुस्यारी तहसील भरतपुर स्थित खसरा नंबर 300, 301, 302, 303 किता 4 रकबा 1.07 हैक्टेयर के 1/2 हिस्सा पर वादीगण व असल प्रतिवादी 2 लगायत 9 गैर खातेदारी से खातेदार कृषक घोषित करा पाने के अधिकारी हैं।" .....वादीगण

<u>तनकी नंबर 2. –</u> "आया 80 सी.पी.सी. नोटिस के अभाव में दावा वादी काबिल खारिज के है। .....प्रतिवादी

<u>3. –</u>दादरसी?

उपरोक्तानुसार तनकी कायम की जाकर पत्रावली साक्ष्य वादी में नियत की गई। साक्ष्य वादी में गवाह खजानसिंह का शपथपत्र पेश हुआ। अन्य कोई साक्ष्य पेश नहीं करने पर साक्ष्य वादी बंद की गई। प्रतिवादी द्वारा भी अपने जवाब को ही साक्ष्य मानने हेतु निवेदन किया गया। इसके अतिरिक्त अन्य कोई साक्ष्य पेश नहीं करने पर साक्ष्य प्रतिवादी समाप्त की जाकर पत्रावली बहस में नियत की गई। इसके अतिरिक्त वादग्रस्त आराजी बावत् तहसीलदार भरतपुर से मौका व कब्जे काश्त की रिपोर्ट ली गई जो संलग्न पत्रावली है।

अभिभाषक वादी की बहस सुनी गई। अभिभाषक वादी ने दावा में वर्णित तथ्यों को ही दोहराते हुए दावा डिक्री किये जाने का अनुरोध करते हुए अपनी बहस पूर्ण की।

हमने अभिभाषक वादी द्वारा की गई बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन कर पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया। तनकीवार विवेचन निम्न प्रकार है–

<u>तनकी नंबर 1. –</u> "आया वाके ग्राम घुस्यारी तहसील भरतपुर स्थित खसरा नंबर 300, 301, 302, 303 किता 4 रकबा 1.07 हैक्टेयर के 1/2 हिस्सा पर वादीगण व असल प्रतिवादी 2 लगायत 9 गैर खातेदारी से खातेदार कृषक घोषित करा पाने के अधिकारी हैं।" – इस तनकी को सिद्ध करने का दायित्व वादीगण का है। वाके ग्राम घुस्यारी तहसील व जिला भरतपुर स्थित हाल आराजी खसरा नंबर 300/0.17, 301/0.17, 302/0.38, 303/0.35 गत खसरा नंबर 301 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा, 304 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा, 305 रकबा 2 बीघा 15

बिस्वा, 306 रकबा 2 बीघा से निर्मित हुए हैं। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी संवत् 2009–2012, 2013–2016 के अनुसार उक्त साविक आराजी खसरा नंबरान पर लालाराम पुत्र दवीराम जाति जाट साकिन देह गैर मौरूसी के रूप में दर्ज हैं। संवत् 2017 की जमाबंदी में उक्त आराजी पर लालाराम वल्द देवीराम निष्फ खातेदार, करनसिंह पुत्र धुन्धी कौम जाट साकिन देह निष्फ गैर खातेदार का इंद्राज है। इसी प्रकार संवत् 2021 लगायत 2028 के राइट्स ऑफ रिकॉर्ड (जमाबंदी) में करनसिंह वल्द धुन्धी जाति जाट साकिन देह खातेदार निष्फ व गैरखातेदार निष्फ राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। उक्त आराजी वादीगण को उनके बाबा/पिता से आई है। वादीगण के पारिवारिक सजरा के अनुसार लालाराम व धुन्धी के पिता देवीराम थे और करनसिंह धुन्धी का पुत्र था। लालाराम का स्वर्गवास लावल्द विला औरत व संतान हो जाने के कारण उसकी आराजी के एकमात्र वारिस वादीगण के पिता करनसिंह रहे। इस प्रकार उक्त आराजी पर विरासतन वादीगण के पिता करनसिंह निष्फ के खातेदार व निष्फ के गैर खातेदार दर्ज आराजी हो गए। तत्पश्चात करनसिंह का भी स्वर्गवास होने के बाद आराजी पर वादीगण व असल प्रतिवादी सं0 1 लगायत 9 विरासतन 1/2 हिस्से पर खातेदार निष्फ व 1/2 हिस्से पर गैर खातेदार दर्ज हो गये।

चूँकि उक्त आराजी संवत् 2021 के राइट्स ऑफ रिकॉर्ड के अनुसार 1/2 आराजी के करनसिंह खातेदार दर्ज हैं। आराजी के शेष 1/2 हिस्से पर गैर खातेदारी के अधिकार प्रदान किये जाने हैं। उक्त आराजी वादीगण को उनके पूर्वजों से विरासत में प्राप्त हुई है और आराजी पर वादीगण और प्रतिवादीगण सं0 2 लगायत 9 वर्तमान में काबिज होकर काश्त कर रहे हैं। जिसकी पुष्टि तहसीलदार भरतपुर/पटवारी हलका की मौका रिपोर्ट से भी होती है। इस प्रकार वादीगण व प्रतिवादीगण सं0 2 लगायत 9 स्वयं को उक्त आराजी के 1/2 हिस्से पर गैर खातेदार से खातेदार घोषित करा पाने के पूर्ण रूपेण अधिकारी है । अतः यह तनकी वहक वादीगण निर्णित की जाती है।

<u>तनकी नंबर 2. –</u> "आया 80 सी.पी.सी. नोटिस के अभाव में दावा वादी काबिल खारिज के है।"– इस तनकी को सिद्ध करने का दायित्व प्रतिवादी का है। प्रतिवादी द्वारा उक्त तथ्य के लिए कोई भी न्यायिक नजीर न्यायालय के समक्ष पेश नहीं

की है कि जिससे यह स्पष्ट होता हो कि दावा करने से पूर्व वादीगण को धारा 80 सी.पी.सी. का नोटिस दिया जाना आवश्यक हो। वादगण द्वारा दावा में यह स्पष्ट अंकन किया है कि दावा अनिवार्य प्रकृति का है इसलिए बिना धारा 80 सी.पी.सी. का नोटिस दिए ही दावा किया गया है। जिसके लिए प्रार्थना पत्र अलग से न्यायालय के समक्ष पेश किया है तथा न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र पेश होने पर वाद को दर्ज कर विधिवत सुनवाई की है। इसलिए यह तनकी विरुद्ध प्रतिवादी तय की जाती है।

दादरसी –उपरोक्त विवेचनानुसार वादीगण अपना वादपत्र साबित करने में पूर्णतया सफल रहे हैं। इस कारण वादीगण व प्रतिवादीगण सं0 2 लगायत 9 वादग्रस्त आराजी के 1/2 हिस्से पर गैर खातेदार से खातेदार कृषक राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किए जाने योग्य है। इस प्रकार दावा वादीगण स्वीकार किए जाने योग्य है।

अतः आज्ञा है कि –

दावा वादीगण स्वीकार किया जाता है। वाके ग्राम घुस्यारी तहसील व जिला भरतपुर स्थित हाल आराजी खसरा नंबर 300/0.17, 301/0.17, 302/0.38, 303/0.35 में 1/2 हिस्से पर वादीगण के गैर खातेदारी के इंद्राज कलमजन किये जाकर वादीगण व असल प्रतिवादीगण सं0 2 लगायत 9 को गैरखातेदार से खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 26.12.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(संजय गोयल)
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official